भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3805
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान योजना पर बैठक

3805. श्री एम. सेल्वराजः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पीएम किसान योजना, किसानों को पेंशन योजना इत्यादि पर चर्चा करने के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 13 जून, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई जिसमें (i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) (ii) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पेंशन स्कीम अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना तथा (iii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर चर्चा की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीएम-किसान के तहत सभी पात्र किसान परिवारों के नामांकन की प्रक्रिया में समयबद्ध तरीके से तेजी लाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा उन्हें किसानो के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने के बारे में भी जानकारी दी गई तथा इसके लिए जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया गया। उनसे केसीसी स्कीम की कवरेज में वृद्धि करने के लिए ग्राम-वार अभियान चलाने का भी अनुरोध किया गया।

इसके अलावा, 8 जुलाई, 2019 को कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें पीएम-किसान योजना और प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग का आग्रह किया गया।

*****